भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1329

जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

नदियों की स्वच्छता के लिए योजनाएं

1329. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश की प्रमुख निदयों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और
- (घ) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितनी निदयों को प्रदूषण मुक्त बनाया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर ट्ड्)

(क) से (घ) यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों और औद्योगिक इकाइयों की जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों, तटीय जल एवं भूमि में प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निर्वहन से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टता के आवश्यक उपचार को सुनिश्चित करें। नदियों के संरक्षण के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग देश में नदियों के चिन्हित हिस्सों में प्रदूषण को कम करने हेतु गंगा बेसिन में नदियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय

प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है।

एनआरसीपी ने अब तक 6248.16 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना लागत के साथ देश के 16 राज्यों में फैले 80 शहरों में 36 निदयों के प्रदूषित हिस्सों को कवर किया है और अन्य बातों के साथ-साथ 2745.7 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता बनाई गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, 32,912.40 करोड़ रुपये की लागत से कुल 409 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 5269.87 एमएलडी सीवेज उपचार और 5,213 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क के लिए 177 परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन [(अटल मिशन फॉर रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन) (अमृत)] और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा नवंबर, 2022 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में प्रकाशित 351 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) में से 106 को हटा दिया गया है जबिक 74 पीआरएस में सुधार देखा गया है।
